न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:— योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
294/18	24.08.2018	14.05.2019

1 सज्जनसिंह पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी दूनवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

वादी—

बनाम

1 रुपचन्द पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी दूनवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0
2 रतन पुत्र जाति जाट निवासी दूनवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0
4 उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0
5 प्रंबधक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बर्डोद तह0 बहरोड

प्रतिवादीगण—

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
वो हु0 ई0 दवामी

उपस्थिति—

1 श्री अरुण पण्डित — वकील वादी

2 श्री दीपक कुमार शर्मा — वकील प्रतिवादी गण

—:निर्णय:—

दिनांक :—14.05.2019

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई वकील उभय पक्षकारान उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा की हाल अराजी ख0न0 282/0.69, 334/0.16, 371/0.26, 380/0.23, 455/0.25, 456/0.13, 459/0.18, 489/0.23, 545/0.56, 568/0.36, 669/210/0.06, 671/211/0.16, 253/0.06, 673/353/0.52 हैक्ट0 वाके ग्राम दूनवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर के 1/5 भाग वादमें विवादित आराजी कहलायेगी जिसमें मिन वादी का पिता हरिराम अपने जीवनकाल काबिज काश्त आराजी रहा है जिसकी फोतगी पर मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये विरासत प्राप्त हुई है तथा मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एंव 2 का बराबर बराबर हिस्सा यानी 1/3, 1/3, 1/3 भाग दर 1/5 भाग है, तथा इसी प्रकार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारीयों द्वारा पिता की फोतगी पर विरास्त इंतकाल दर्ज करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून मिन वादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम विरास्त इंतकाल संख्या 191 दिनांक 10.06.2004 को दर्ज व मंजूर कर दिया तथा मिन वादी का नाम हजफ कर दिया इसलिए मिन वादी उक्त इंतकाल को निरस्त कराकर अपने आप को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराकर इसी प्रकार राजस्व रिर्काड में अंकन कराने व मिन वादी के हक हिस्से

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

तक प्रतिवादी गण का नाम हजफ कराकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने का अधिकारी हूँ का निवेदन करते हुये उपरोक्त विवादित आराजी के बाबत विरासत इतंकाल सख्या 191 को निरस्त किया जाकर मिन वादी को 1/3 भाग दर 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में मिन वादी के नाम का अकंन दर्ज किया जाकर मिन वादी के हक व हिस्से तक रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जावे एवं डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे किवे मिन वादी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा ना करें ना ही वादी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करें, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपसंजात होकर अपना राजीनामा इस आशय का पेश किया कि उक्त प्रकरण में "हम पक्षकारान् में आपस में मौजिज व्यक्तियों द्वारा राजीनामा करा दिया गया है तथा आराजी भी हम पक्षकारान् की पैत्रिक आराजी रही है तथा वादी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। वाद में वर्णित आराजी में वादी का हक हकूक निहित है इसलिए वादी के नाम 1/3 भाग दर 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया जावे तथा वादी के हक हिस्से तक हम प्रतिवादी न० 1 व 2 के नाम के अंकन को कम कर दिया जावे हमें कोई एतराज नहीं है।"

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागणों को सुना तथा पत्रावली का व प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वर्णित विवादित आराजी पक्षकारान् की पैत्रिक आराजी है इस तथ्य की पुष्टि विरासत इतंकाल सख्या 191 से होती है जो हरिराम पि. जयराम की विरासत का उसके पुत्र रतन व रूपचन्द के नाम दर्ज होकर स्वीकार किया गया है। वादी सज्जन सिंह भी मृतक हरिराम का ही पुत्र है तथा विधिक वारिस भी है प्रतिवादीगण द्वारा भी राजीनामा के जर्ये इस तथ्य की पुष्टि की गई है। इस प्रकार वादी मृतक हरिराम की सम्पति में 1/3 भाग का उत्तराधिकारी है। चूंकि प्रतिवादी न. 1 व 2 के साथ वादी का नाम विरासत में दर्ज नहीं हुआ तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड में भी वादी का नाम नहीं आया जबकि वादी भी मृतक हरिराम का विधिक वारिस है तथा 1/3 भाग का हकदार है। वादी को विवादित आराजी में प्रतिवादी न.1 व 2 के साथ 1/3 भाग का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादी बरूवे राजीनामा डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादी बरूवे राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा आराजी ख.न. हाल 282 रकबा 0.69, 334 रकबा 0.16,371 रकबा 0.26, 380 रकबा 0.23, 455 रकबा 0.25, 456 रकबा 0.13, 459 रकबा 0.18, 489 रकबा 0.23, 545 रकबा 0.56, 568 रकबा 0.36, 669/210 रकबा 0.06, 671/211 रकबा 0.16, 253 रकबा 0.06, 673/353 रकबा 0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम दूनवास तहसील मुण्डावर में 1/5 भाग में वादी को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त 1/3 भाग से प्रतिवादी न.1 व 2 का नाम हजफ किया जाता है। रहन का इन्द्राज सम्बन्धित व्यक्ति के नाम दर्ज रहेगा। राजीनामा निर्णय एवं डिक्री का पार्ट रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(योगेश कुमार डागुर)
14.5.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

निणर्य आज दिनांक 14.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय से सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
14.5.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 294/2018

तारीख दायरा : 24.08.2018

उनवान

1.सज्जनसिंह पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी दूनवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

वादी।

बनाम

1.रूपचन्द पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी दूनवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

2.रतन पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी दूनवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

3.राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर।

4.उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर।

5.प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बर्डोद तहसील बहरोड़।

प्रतिवादी।

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट)

पर्चा डिकी दिनांक :14.5.19

दावा वादी बरूवे राजीनामा डिकी किया जाता है तथा आराजी ख.न. हाल 282 रकबा 0.69, 334 रकबा 0.16,371 रकबा 0.26, 380 रकबा 0.23, 455 रकबा 0.25, 456 रकबा 0.13, 459 रकबा 0.18, 489 रकबा 0.23, 545 रकबा 0.56, 568 रकबा 0.36, 669/210 रकबा 0.06, 671/211 रकबा 0.16, 253 रकबा 0.06, 673/353 रकबा 0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम दूनवास तहसील मुण्डावर में 1/5 भाग में वादी को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त 1/3 भाग से प्रतिवादी न.1 व 2 का नाम हजफ किया जाता है। रहन का इन्द्राज सम्बन्धित व्यक्ति के नाम दर्ज रहेगा। राजीनामा निर्णय एवं डिकी का पार्ट रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(योगेश कुमार डागुर)
14.5.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner